सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 292 राँची ,बुधवार

11 आषाढ़ 1936 (श०)

2 जुलाई, 2014 (ई०)

वित्त विभाग ।

संकल्प

19 जून, 2014

विषय:- **ग्रामीण विकास विभाग द्वारा RIDF-XIX के तहत् 24-ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 10180.15 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या- अर्थोपाय (30)-12/2014 /243/बजट-- राज्य के विभिन्न जिलों में **RIDF-XIX** के तहत कुल 24 ग्रामीण पुल परियोजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है, जिसके लिए नाबार्ड के पत्र सं॰ NB.JH.SPD/4239/RIDF-XIX-24 RB/140thPSC/2013-14 दिनांक 10.02.2014 द्वारा रुपये 10180.15 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है। मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर उक्त ऋण राशि को नाबार्ड से निम्न शर्तों के साथ आहरण करने का निर्णय लिया गया है:-

1. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची-I, वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किये जायेंगे। परन्तु अगर प्रशासी विभाग परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व आरम्भ कर दें तो ऋण की राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2014-15 के पूर्व किये जायेंगे।

2. योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋण का 20% अर्थात 2036.03 लाख रूपये Mobiligation Advance के रूप में आहरण किया गया है ।

3. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्ते नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है। इसका अनुपालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायगा।

4. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के माध्यम से वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा । ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय त्रैमासिक ब्याज राशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा ।

5. ग्रामीण विकास विभाग, Nabard RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर (भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति) प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा । PMGSY के पैटर्न पर online monitoring किया जाय।

6. ग्रामीण विकास विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा ।

7. इन पुलों की रख-रखाव एवं भविष्य की मरम्मति हेतु Toll लगाकर राशि उगाही का सार्थक पहल ग्रामीण विकास विभाग करेगा ।

8. संबंधित पुल अगर ग्रामीण विकास विभाग के स्वामित्व में नहीं हो तो संबंधित विभागों से स्वामित्व प्राप्त कर, Defect- Liability period के बाहर हो तथा नये Tender के अनुरूप इसका कठोरता से पालन किया जाय ।

9. यह चालू योजना है ।

10. यह संकल्प विभागीय संलेख 216/बजट दिनांक 20 मई, 2014 पर मंत्रिपरिषद की बैठक 24 मई, 2014 के मद सं॰-25 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 292–50 ।